

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

क्रमांक 212 RT Act विपक्षी श्री. लाल
 मुकदमा 212 RT Act पत्रावली संख्या 187/13 सन् _____

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

10/11/25
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप श्री. यार्थना पत्र
 के लिये मौका चाहते है। अतः श्री. लाल
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 17/11/25
 को पेश हो।
 (SDO) मावली

27/11/25
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप श्री. यार्थना पत्र
 के लिये मौका चाहते है। अतः श्री. लाल
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 14/12/25
 को पेश हो।
 (SDO) मावली

11/12/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान रुप।
 उपरिथत अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 16/12/25 को पेश हो।
 B10

16/12/25
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप श्री. यार्थना पत्र
 के लिये मौका चाहते है। अतः श्री. लाल
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 06/01/26
 को पेश हो।
 (SDO) मावली



06/01/2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण
मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता
प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00PM
हो चुके हैं। स्वयं प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित
रहने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अदम
राजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से
कम हों।

निर्णय शुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली